रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2019/माघ 25, 1940
No. 746] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2019/MAGHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

का.आ. 868(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोतपरिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है ;

पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	किमी से किमी का खंड	का.आ.संख्या और दिनांक
232	31,128 और 335	अंबेडकर नगर –रायबरेली बांदा खंड	0.000 - 287.000	का.आ. 2719(आ) दिनांक 30.11.2011
96	330	कटका मोड़-सुल्तानपुर खंड	95.100-82.000	का.आ. 3926(आ) दिनांक 18.12.2017

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में रारा संख्या 128 (पुराना रारा-232) के डिज़ाइन 0.000 किमी (विद्यमान चैनेज 2.930) से डिज़ाइन 148.980 किमी (वर्तमान चैनेज 166.110) और रारा संख्या 330 (पुराना रारा-96) के डिज़ाइन 0.000 किमी (वर्तमान चैनेज 95.100) से डिज़ाइन 13.100 किमी (वर्तमान चैनेज 82.000) तक टांडा –रायबरेली खंड पर 145.592 किमी की निवल सड़क लंबाई तथा 7.280 किमी (जिसकी लंबाई 0.728 किमी है) की समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) के पेव्ड- शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग हेतु स्तम्भ (1) में यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% की दर से और दस करोड़ या अधिक

लागत का बाइपास जिसकी लम्बाई 15.760 कि.मी. है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर आधार दरों के 90% की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्‌:-

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई)या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी -2

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	इंफ्लुएंस खंड (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(1)	(2)	(3)	(4)
पीढी गाँव जिला सुल्तानपुर के निकट 50.825 किमी से 51.200 किमी (वर्तमान चैनेज 51.010)	रारा-128 (पुराना रारा -232) के 0.000 किमी से 65.720 किमी तथा रारा-330 (पुराना रारा-96) पर 0.000 किमी से 13.100 किमी	62.452 (बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक है तथा अवसंरचनाएं जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
एंधी गाँव जिला अमेठी के निकट 112.850 किमी से 113.350 किमी (वर्तमान चैनेज 113.100)	रारा-128 (पुराना रारा -232) के 65.720 किमी से 148.980 किमी	83.140 (बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक है तथा अवसंरचनाएं जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	कुल	**145.592**	

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सारणी 2 के स्तम्भ (1) मे विनिर्दिष्ट शुल्क प्लाज़ाओं को अस्थाई शुल्क प्लाज़ा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा बशर्ते भाराराप्रा दो वर्ष की अवधि के भीतर उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार इन शुल्क प्लाज़ाओं का पुनः अवस्थान करे ।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पीढी गाँव जिला सुल्तानपुर के निकट 50.825 किमी से 51.200 किमी (वर्तमान चैनेज 51.010)	0.608*	6.080	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
एंधी गाँव जिला अमेठी के निकट 112.850 किमी से 113.350 किमी (वर्तमान चैनेज 113.100)	0.120**	1.200	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.728	**7.280**	

*संरचनाओं (60 मी लंबाई से अधिक) के ब्योरे निम्नवत हैं:-

क्रम सं.	चैनेज जहां से शुरू है (किमी पर)	चैनेज जहां समाप्त है (किमी पर)	संरचना का नाम एवं प्रकार	कुल लंबाई (किमी में)
i.	रारा -128 पर 18.125	रारा -128 पर 18.265	आरओबी (अकबरपुर बाइपास पर)	0.140
ii.	रारा -330 पर 12.268	रारा-330 पर 12.364	आरओबी	0.096
iii.	15.502	15.662	बड़ा पुल (अकबरपुर बाइपास पर)	0.160
iv.	रारा -330 पर 5.594	रारा-330 पर 5.806	बड़ा पुल	0.212
संरचना की कुल लंबाई				**0.608**

**संरचनाओं (60 मी लंबाई से अधिक) के ब्योरे निम्नवत हैं:-

क्रम सं.	चैनेज जहां से शुरू है (किमी पर)	चैनेज जहां समाप्त है (किमी पर)	संरचना का नाम एवं प्रकार	कुल लंबाई (किमी में)
(i)	रारा -128 पर 147.594	रारा-128 पर 147.714	आरओबी	0.120
संरचना की कुल लंबाई				**0.120**

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों, जिनकी लागत 10 करोड़ या इससे अधिक है, के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा(ओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज			सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए		
पीढी गाँव जिला सुल्तानपुर के निकट 50.825 किमी से 51.200 किमी (वर्तमान चैनेज 51.010)	अकबरपुर	10.670	23.430	12.460 (60 मी लंबाई से अधिक संरचना की लंबाई को छोडकर)	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	सेमारी	43.600	46.900	3.300 (60 मी लंबाई से अधिक संरचना की	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार

				लंबाई को छोडकर)	दरों का 90%
एंधी गाँव जिला अमेठी के निकट 112.850 किमी से 113.350 किमी (वर्तमान चैनेज 113.100)	शून्य			शून्य	
कुल				**15.760**	

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियम के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समान शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 842.33 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा । प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/2016-17 /जीसी रायबरेली(टांडा-रायबरेली)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2019

S.O. 868(E).—Whereas by the following notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National highways in the States of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Old NH No.	New NH No.	Section	Stretch from km to km	S.O. No. and Dated
232	31,128 & 335	Ambedkarnagar – Raebareli Banda Section	0.000 - 287.000	S.O. 2719 (E) dated 30.11.2011
96	330	Katka more-Sultanpur Section	95.100 - 82.000	S.O. 3926 (E) dated 18.12.2017

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at sixty per cent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 145.592 km and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 7.280 km (having length of 0.728 km) and at ninety percent of the base rate for bypass having length of 15.760 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane with paved shoulders Tanda-Raebarelli section from design km 0.000 (existing chainage 2.930) to design km 148.980 (existing chainage 166.110) of National Highway number 128 (old NH-232) and from design km 0.000 (existing chainage 95.100) to design km 13.100 (existing chainage 82.000) of National Highway number 330 (old NH-96) in the State of Uttar Pradesh and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such fee plaza(s), namely: -

TABLE-2

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Influence Section (design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)
km 50.825 to km 51.200 (existing chainage 51.010) near village Pidhi district Sultanpur	km 0.000 to km 65.720 of NH-128 (old NH-232) and 0.000 to 13.100 on NH-330 (old NH 96)	62.452 (Excluding length of Bypass Costing >Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 112.850 to km 113.350 (existing chainage 113.100) near village Aindhi district Amethi	km 65.720 to km 148.980 of NH-128 (old NH-232)	83.140 (Excluding length of Bypass Costing >Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total	**145.592**	

As per the decision taken by the Competent Authority, the fee plazas specified in column (1) of Table 2 shall be notified as temporary fee plazas, with the condition that NHAI will relocate these fee plazas in accordance with rule 8 of the said rules within a period of two years.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
km 50.825 to km 51.200 (existing chainage 51.010) near village Pidhi district Sultanpur	0.608*	6.080	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 112.850 to km 113.350 (existing chainage 113.100) near village Aindhi district Amethi	0.120**	1.200	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	**0.728**	**7.280**	

* The details of structures (> 60 m length) are as under: -

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	18.125 on NH-128	18.265 on NH-128	ROB (on Akbarpur Bypass)	0.140
(ii)	12.268 on NH-330	12.364 on NH-330	ROB	0.096
(iii)	15.502	15.662	Major Bridge (on Akbarpur Bypass)	0.160
(iv)	5.594 on NH-330	5.806 on NH-330	Major Bridge	0.212
			Total length of structure	**0.608**

** The details of structures (> 60 m length) are as under: -

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (in km)
(i)	147.594 on NH-128	147.714 on NH-128	ROB	0.120
			Total length of structure	**0.120**

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Fee Plaza, for the length of bypass specified for such Fee Plaza: -

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
km 50.825 to km 51.200 (existing chainage 51.010) near village Pidhi district Sultanpur	Akbarpur	10.670	23.430	12.460 (Excluding length of structures >60m length)	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Semari	43.600	46.900	3.300 (Excluding length of structures >60m length)	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 112.850 to km 113.350 (existing chainage 113.100) near village Aindhi district Amethi	NIL			NIL	
Total				**15.760**	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255 (Rupees Two Hundred and Fifty-five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

11. The Capital cost of the project is Rs. 842.33 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/2016-17/ GC Raebareli (Tanda – Raebareli)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.19 17:05:55 +05'30'